प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

2. इस प्रतिवेदन के अध्याय I एवं II में राज्य सरकार के 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के क्रमशः वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे की जांच में उत्पन्न तथ्यों पर आधारित लेखापरीक्षा निष्कर्ष हैं। जहॉ आवश्यक था, सूचनाएं उत्तर प्रदेश शासन से भी प्राप्त की गयी हैं।

3. अध्याय III 'वित्तीय रिपोर्टिंग' वर्तमान वर्ष में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न नियमों, प्रक्रियाओं एवं वित्तीय रिपोर्टिंग से सम्बन्धित निर्देशों के अनुपालन की स्थिति और उसका विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है।

4. निष्पादन लेखापरीक्षा के निष्कर्षों एवं विभिन्न विभागों के लेन–देनों की लेखापरीक्षा तथा सांविधिक निगमों, परिषदों तथा शासकीय कम्पनियों के लेखापरीक्षा निष्कर्षों और राजस्व प्राप्तियों के निष्कर्षों को सम्मिलित करते हुए प्रतिवेदन पृथक रूप से प्रस्तुत किया जाता है।

लेखापरीक्षा निष्पादन भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप किया गया है।